न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—388/2016/223 आर.टी.एक्ट (2016/00388)

1. जस्सू पुत्र श्री बिरदा रावत
2. बीरमसिंह पुत्र बिरदा रावत
3. दौलतसिंह पुत्र बिरदा रावत
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम खेजडला, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. श्रीमती मोहनी पुत्री बिरदा रावत पत्नि श्रवण रावत नि0 ग्राम देवनगर तहसील रायपुर।
5. श्रीमती शांति पुत्री श्री बिरदा रावत पत्नि प्रतापसिंह (मृतक जरिए वारिसान):—
   5/1 राजू पुत्र प्रतापसिंह
   5/2 अशोक पुत्र प्रतापसिंह
   5/3 सुशीला पुत्री प्रतापसिंह
6. मोहनसिंह पुत्र भगवानसिंह (मृतक जरिए वारिसान):—
   6/1 नैना देवी पत्नि स्व0 मोहनसिंह
   6/2 मुकेश पुत्र स्व0 मोहनसिंह
   6/3 हरजी पुत्र स्व0 मोहनसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी भीलातो का बाडिया, तहसील व जिला ब्यावर।
   6/4 संतोष पुत्री स्व0 मोहनसिंह पत्नी सुरेश रावत निवासी लालपुरा धनाड, तहसील व जिला ब्यावर।
   6/5 सुनीता पुत्री स्व0 मोहन सिंह पुत्र मक्खन सिंह रावत नि0 किशनपुरा तहसील व जिला ब्यावर।
7. नरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह
   7/1 बसन्ता देवी बेवा स्व0 श्री नरेन्द्रसिंह
   7/2 महादेव सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्रसिंह
   7/3 अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्रसिंह, नाबालिग जरिए वली माता बसंता देवी
   7/4 कोमल पुत्री स्व0 श्री नरेन्द्रसिंह, नाबालिग जरिए वली माता बसंता देवी
   7/5 कंचन पुत्री स्व0 नरेन्द्रसिंह पत्नि प्रेमसिंह नि0 सनका तहसील व जिला ब्यावर।
8. श्रीमती सीता पत्नि श्री भौलासिंह
   समस्त जाति रावत निवासी भीलातो का बाडिया तहसील व जिला ब्यावर।
9. श्रीमती लीला पत्नि लक्ष्मण सिंह रावत निवासी ग्राम सनवा तहसील व जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामसिंह पुत्र घीसा
2. धन्नी बेवा घीसा (मृतक जरिए वारिसान):—
   2/1 नैना पुत्री घीसा पत्नि पूनमसिंह
   2/2 सोहनी पुत्री घीसा पत्नि छीतरसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी गोविन्दपुरा, तहसील व जिला ब्यावर।
3. विजय सिंह पुत्र भोजराज सिंह
4. दुर्गासिंह पुत्र भोजराज सिंह
5. श्रीमती कमला पत्नि बीरमसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी प्रेमनगर सेन्दडा रोड, तहसील व जिला ब्यावर।

6. श्रीमती सुशीला पत्नि बीरदीचंद जैन निवासी कडीवालान की पोल, सुनाराम की गली, जिला ब्यावर।
7. श्रीमती सुशीला कंवर पत्नि श्री देवराज जैन नि0 विनोदनगर जिला ब्यावर। (मृतक)
8. श्री अमरदीन पुत्र रमजान काठात निवासी फतेहगढ सल्ला तहसील व जिला ब्यावर।
9. राजन सिंह पुत्र भगवान सिंह रावत (मृतक जरिए वारिसान):—
   9/1 जशोदा बेवा राजन सिंह
   9/2 जगदीश पुत्र राजनसिंह
   9/3 गीता पुत्री राजन सिंह
   9/4 संतोष पुत्री राजन सिंह
   9/5 सुशीला पुत्री राजन सिंह
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जिला ब्यावर।
11. राजस्थान सरकार जरिए जिलाधीश, जिला अजमेर।
12. उप पंजीयक, जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 08/2011

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जी0एस0 लखावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री कुलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10 से 12
5. रेस्पोडेंट संख्या 8, 9/1 से 9/5

निर्णय

दिनांकः—31.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स एवं रूपी बेवा चत्तर सिंह एवं कूम्पी पत्नि लूम्बसिंह ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस एवं शेष अन्य प्रतिवादीगण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स को जरिए सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स ने उपस्थिति होकर वाद पत्र में वर्णित कथनों को पूर्णतया इंकार करते हुए विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर

द्वारा केम्प कोर्ट में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर एक पक्षीय ही सुनवाई करते हुए अपने निर्णय दिनांक 11.6.2016 द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद वादीगण खारिज किए जाने का आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2016 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 8, 9/1 से 9/5 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतानुसार दूसरे पक्ष को सुने बिना उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। परंतु उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण को ही बिना सूचित किए एवं जवाब प्रस्तुत करने बाबत बिना कोई अवसर दिए ही सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जो आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी नजरअंदाज कर दिया कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधान– जहां वाद हेतु प्रकट नहीं होता हो। जहां दावाकृत अनुतोष कम किया गया हो। जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है। जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। कानूनन उक्त चारों स्थितियों में से किसी भी स्थिति होने पर वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त चारों स्थितियों में से किसी एक भी स्थिति बाबत ना तो कोई कथन वर्णित किया गया एव ंना ही ऐसी कोई स्थिति साबित कराई गई जिससे उक्त प्रावधानों के तहत वाद पत्र चलने योग्य नहीं हो। परंतु फिर भी उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों को पूर्णतया दरकिनार करते हुए निर्णय पारित किया है। वादीगण द्वारा वर्ष 2011 में वाद पत्र पेश किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2011 में जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरान्त वाद पत्र में कई प्रतिवादीगण के नाम डिलीट किए गए व कुछ आराजीयात को वाद पत्र से हटाया गया तथा प्रकरण वास्ते कायम मुकाम कार्यवाही हेतु नियत होकर चलता रहा तथा जिस तथ्य को प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी में उठाया गया है उक्त बाबत तथ्य वर्ष 2011 में ही अपने जवाबदावे में वर्णित किए जा चुके है जिनके आधार पर विधिवत तनकियात कायम की जाकर बाद साक्ष्य सबूत निर्णय किया जाना है। ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत एक पक्षीय तौर पर प्रार्थना पत्र में उठाए गए उज के आधार पर बिना साक्ष्य सबूत एवं बिना सुनवाई किए निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थिति को पूर्णतया दरकिनार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निर्णय जेर अपील निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का गलत अर्थान्वयन करते हुए पिता की सम्पत्ति में पुत्रियां का हिस्सा नहीं होना मानते हुए जो निर्णय पारित

किया है वह पूर्णतया विधि विरूद्ध है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रावधित प्रावधानानुसार पिता की सम्पत्ति में उसके निंवसीयती देहान्त सम्पत्ति वर्ग अ अनुसार पत्नि, लड़के व लड़कियों में निहित होती है एवं कानूनन सभी का बराबर बराबर हक व हिस्सा होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था अनुसार पिता की सम्पत्ति बाबत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। बल्कि पैत्रक सम्पत्ति बाबत निर्णय किया गया है। जो कि प्रस्तुत प्रकरण में कतई लागू नहीं होता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र सरसरी तौर पर ही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए वाद खारिज करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। शैरा की सम्पत्ति में उसकी लड़कियों का हक व अधिकार बनता है या नहीं। यह साक्ष्य का प्रश्न है जिसे बिना साक्ष्य सबूत निस्तारित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रश्न के आधार पर दावा बार्ड बाय लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। जिसे कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज किया जा सके परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौजूदा प्रकरण को कानूनन चलने योग्य नहीं होना मानते हुए निर्णय पारित किया है। परीक्षण न्यायालय में वादी संख्या 1 व 2 द्वारा वाद में नहीं बने रहने एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 12, प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 व प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 24 के विरूद्ध वाद विड्रो किए जाने से उन्हें उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने कोर्ट केंप नून्द्रीमालदेव में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र ओदश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादीया ने हमारे पिता के खातेदारी भूमि में से हिस्सा मांगा है, परंतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की भूमि में किसी भी प्रकार से पुत्रियों का हिस्सा विद्यमान नहीं होता है, और उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी नजीर के तहत 2005 के पूर्व ही मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है इस कारण भी प्रार्थीगण/वादीया का हिस्सा विद्यमान नहीं रहता है इस कारण उक्त प्रकरण में किसी भी तरह से वाद कारण बनता है जो विधि द्वारा वर्जित है, इस कारण उक्त प्रकरण खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थन पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 11.06.2016 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वर्तमान प्रकरण में दिनांक 08.07.2011 को पक्षकारान की आपसी सहमति से खसरा नम्बर 202 बाबत मौजूदा वाद में प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 20 की सीमा तक वाद खारिज किया गया। पेशी दिनांक 21.7.2011 को प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 207 का पूरा रकबा एवं खसरा नम्बर 204 की 7 बिस्वा आराजी को वाद पत्र से डिलीट किए जाने का आदेश पारित किया गया व पेशी दिनांक 7.12.2012 को आराजी खसरा नम्बर 203, 204/3, 205, 215/2, 216/2 को दावे से डिलीट किए जाने का आदेश दिया गया एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 21 व 22 के बीच राजीनामा होने से उनके विरूद्ध वाद आगे नहीं चलाने बाबत आदेश पारित हुआ तथा पेशी दिनांक 24.4.2013 को पक्षकारान में वादी संख्या 1 व 2 रूपाबाई व कुम्पी के निवेदन पर प्रश्नगत भूमि के हक व हिस्से तक वाद पत्र खारिज किया गया एवं वाद पत्र से नाम डिलीट किए जाने के आदेश पारित किए गए।

प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 18.7.2016 से पूर्व ही वाद पत्रावली दिनांक 24.5.2016 को प्रार्थी को बिना नोटिस दिए आगामी पेशी दिनांक 11.6.2016 नियत कर दी गई जिसकी कोई सूचना एवं नोटिस वादीगण/अपीलांट को नहीं दी गई तथा दिनांक 11.6.2016 को वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 न्यायालय के समक्ष केम्प कोर्ट में प्रस्तुत किया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 11.6.2016 को शामिल मिसल किया जाकर प्रकरण में उसी दिन प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सूचना दिए व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत किए जाने का समुचित अवसर दिए बिना ही प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों अनुसार

1. जहां वाद हेतु प्रकट नहीं होता हो।
2. जहां दावाकृत अनुतोष कम किया गया हो।
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है।
4. जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

प्रकरण में उक्त चारों स्थितियों में से किसी भी स्थिति होने पर वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है, परंतु उक्त प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त चारों स्थितियों में से किसी एक भी स्थिति बाबत ना तो कोई कथन वर्णित किया गया एवं ना ही ऐसी कोई स्थिति साबित कराई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब रेस्पोडेंट्स द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उक्त तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट्स को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत किए जाने का अवसर दिए बिना ही प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2016 में विधिक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण से संबंधित समस्त पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रकरण का तनकीवार विवेचन करते हए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.08.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर